

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU **PS:** SVB ROHTAK **Year:** 2013 **FIR No:** 35 **Date:** 16-10-13

2. **Act(s):** **Section(s)**
(i) IPC 420/467/468/471/120-B,IPC,
(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 13(1) d,PC ACT
(iii)
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**
(a) **Day:** Wednesday **Date From:** 16-10-2013 **Date To:** : 16-10-2013
Time Period: **Time From:** **Time To:**
(b) **Information received at P.S: Date:** : 16-10-2013 **Time:** 09-30 A.M.
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 03 **Time:** 09-30 A.M

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:** .North 115 km **Beat No.:**

(b) **Address :** SVB, unit Karnal

(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**

Name of P.S: SVB ROHTAK

District: Rohtak

(a) **Complainant/Informant:** SI Rakesh Kumar

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:** S.V.B unit Panipat

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**
B.S Kataria Chief Sanitary Inspector , Chaman Lal and Mahabir Singh Sanitary Inspector Municipal committee Karnal and Contractor Friends Associates Panchkula and other concerned officers of Municipal committee

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

SI.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
--------	----------------------------	-----------------	--------

(i)

(ii)

(iii)

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any

12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0), रोहतक मण्डल, रोहतक। श्री मान जी, निवेदन है कि प्रारम्भिक जांच क्रमांक 01 दिनांक 08-04-2013 करनाल मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 52/07/2013-1, चौकसी-11 दिनांक 12.03.2013 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 5801/1-1/राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) दिनांक 08.04.2013 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर प्रारम्भिक जांच हेतु विरुद्ध ठेकेदार मैसर्स फ्रैंड्स एसोसियेट पंचकुला व चीफ सैनेटरी इन्सपैक्टर बी0एस0 कटारिया तथा सैनेटरी इन्सपैक्टर चमन लाल तथा महावीर सिंह नगर निगम करनाल द्वारा बाबत करनाल नगर निगम सीमा से कुडा उठाने व माडल टाउन करनाल एरिया की सफाई में ठेकेदार से मिली भगत करके तथा झुठा बिल पास करके हर माह लाखों रुपये का चुना लगाने बारे पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जांच से पाया गया है कि दिनांक 25.8.2011 को नगर निगम, करनाल द्वारा मैसर्स फ्रैंड्स एसोसियेट पंचकुला वासी म0न0 105 सैक्टर-18 पंचकुला को नगर निगम करनाल की सीमा से लाईनपार एरिया को छोड कर व माडल टाउन एरिया, डेरी फार्म से आई0टी0आई0 चौक तक का कुडा उठाने का ठेका एक वर्ष (01-09-2011 से 31-08-2012 तक)के लिए आयुक्त नगर निगम द्वारा निर्धारित भातों व नियमों के आधार पर दिया गया था जिसके के लिए फ्रैंड्स एसोसियेट पंचकुला ने 160 कर्मचारियों की सफाई हेतु डी0सी0 रेट पर नियुक्ति द ाई गई। ठेके की भातों/नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों का ई0एस0आई0 व पी0एफ0 ठेकेदार द्वारा कार्यालय कर्मचारी भविश्य निधि करनाल में जमा कराया जाना आव यक था । परन्तु ठेकेदार द्वारा किसी भी कर्मचारी का पी0एफ0 जमा नही कराया गया व ई0एस0आई0 कार्ड भी नही बनवाया गया और ना ही सफाई कर्मचारियों का प्रतिदिन कार्य कराने के सम्बन्ध में कोई मस्ट्रोल/हाजरी रजिस्टर तैयार करके सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्य पर द ांने हेतु कोई स्थाई रिकार्ड तैयार नही किया गया । ठेके की भातों के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रत्येक जोन/एरिया में सभी सुपरवाइजरो को मोइबाईल फोन तथा आवागमन के साधन देने होंगे तथा ये कर्मचारी डियुटी के दौरान एरिया में उपलब्ध रहेंगे । ठेकेदार द्वारा जो कर्मचारी रखे जाएंगे वर्दी में पहचान पत्र के साथ होंगे । टैन्डर फार्म भरने वाले ठेकेदार की वार्षिक ट्रन ओवर एक करोड होनी चाहिए । सफाई का 3 वर्ष का अनुभव सरकारी विभाग व नगर निगम/परिशद/पालिका में होना अनिवार्य है । न ही सफाई कार्य का अनुभव का सन्तोशजनक दस्तावेज प्रस्तुत कर सका। परन्तु नगर निगम द्वारा मैसर्स फ्रैंड्स एसोसियेट पंचकुला का कोई वार्षिक ट्रन ओवर विवरण नही द ाया। ठेके में यह भी भात थी कि ठेकेदार के निर्धारित कर्मचारियों की संख्या अनुसार मौके पर जितने भी सफाई कर्मचारी कम पाये जायेंगे उसके लिए डी0सी0 रेट के हिसाब से दूगनी राि । बतौर जुर्माना ठेकेदार से वसूल की जायेगी लेकिन दिनांक 5.11.11, 17.2.12 , 20.2.12 , 24.2.12 , 25.2.12. 26.2.12 , 27.2.12 अनुसार निर्धारित संख्या से कम कर्मचारियों का कार्य करना पाया गया इसके अतिरिक्त दिनांक 26 जून 2012 को उपायुक्त करनाल के आदे ानुसार सफाई कर्मचारियों की गिनती माडल टाउन की बडी मार्किट में ठेकेदार संजीव चहल , चीफ सैनेटरी इन्सपैक्टर बी0एस0 कटारिया तथा सैनेटरी इन्सपैक्टर चमन तथा महावीर सिंह नगर निगम करनाल तथा ि ाकायतकर्ता श्री नरेन्द्र सुखन एडवोकेट की मौजूदगी में की गई तो 57 सफाई कर्मचारियों की हाजरी द ाई गई जिसमें से 8 कर्मचारी गैरहाजिर मिले सफाई कर्मचारियों से उनकी पहचान करने हेतु पुछताछ की गई तो 5 कर्मचारी मौके से भाग गये सिर्फ 44 कर्मचारी ही हाजिर मिले जबकि नगर निगम करनाल द्वारा प्रस्तुत हाजरी रजिस्टर अनुसार 52 सफाई कर्मचारी कार्य पर द ाए गए । जबकि मौका की दिनांक

26-06-2012 की हाजरी लिस्ट अनुसार सोहन लाल व दलीप के नाम ठेकेदार के हाजरी रजिस्टर में नहीं पाये गये । मौका हाजरी सूची अनुसार 8 कर्मचारी गैर हाजिर द ाँए गए तथा हाजरी रजिस्टर में 9 कर्मचारी गैर हाजिर द ाँए गए है जबकि नगर निगम करनाल द्वारा माह जून 2012 के अदायगी बिल में केवल 3 सफाई कर्मचारियों को अनुपस्थिती द ाँ कर उनका वेतन कम करके ठेकेदार को अदायगी की गई है। मौका पर सफाई कर्मचारियों की गई हाजरी की सुची पर उपरोक्त चीफ सैनेटरी इन्सपैक्टर बी0एस0 कटारिया तथा सैनेटरी इन्सपैक्टर चमन तथा महावीर सिंह नगर निगम करनाल ने अपने -2 हस्ताक्षर किये । इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा तैयार हाजरी रजिस्टर में जोगेन्द्र पुत्र बलबीर सिंह मई 2012 से अगस्त 2012 तक दो जगह पर सफाई हेतु उपस्थिती द ाँ कर फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये है । इसी प्रकार माह फरवरी 2012 में ि कायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार दिनांक 17.02.2012 को सिर्फ 26 सफाई कर्मचारी कार्य पर दिखाए जिनमें से 8 कर्मचारियों की अनुपस्थिति द ाँई गई , दिनांक 24.02.2012 को सिर्फ 26 कर्मचारी कार्य पर दिखाए गए जिनमें से 7 सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिती द ाँई गई , दिनांक 25.02.2012 को सिर्फ 25 कर्मचारी कार्य पर दिखाए गए जिनमें से 3 सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिती द ाँई गई , दिनांक 26.02.2012 को सिर्फ 25 कर्मचारी कार्य पर दिखाए गए जिनमें से 2 सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिती द ाँई गई , दिनांक 27.02.2012 को सिर्फ 25 कर्मचारी कार्य पर दिखाए गए जिनमें से 6 सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिती द ाँई गई। इस प्रकार माह फरवरी में कुल 26 सफाई कर्मचारी गैर हाजिर रहे है परन्तु ठेकेदार के हाजरी रजिस्टर अनुसार माह फरवरी में उपस्थिती 52 सफाई कर्मचारियों में से केवल 4 कर्मचारियों की अनुपस्थिती द ाँई गई । नगर निगम करनाल द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को कर्मचारियों की माह मार्च 2012 से जून 2012 तक निम्न वेतन अदायगी की गई। जो मार्च 2012 में 10,60,579/-रूपये चैक न0-0378560 माह अप्रैल 2012 में 10,51,020/-रूपये चैक न0-0378655, माह मई 2012 में 10,52,810/- रूपये चैक न0-0357019 व माह जून में 20120,49,300/- रूपये चैक न0-0357078 अनुसार वेतन अदायगी की गई। उपरोक्त वेतन अदायगी विवरणी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर निगम करनाल द्वारा ठेकेदार द्वारा भार्तो के अनुसार द ाँए गए सभी कर्मचारियों का वेतन के अदायगी हेतु बिल प्रस्तुत नगर निगम को किए जाते रहे है जिनको चीफ सैनेटरी इन्सपैक्टर बी0एस0 कटारिया तथा सैनेटरी इन्सपैक्टर चमन तथा महावीर सिंह नगर निगम करनाल द्वारा बिल को **Bill verified that this work as been done & satisfiable** लिखकर अपने-2 हस्ताक्षर किये हुये हैं नगर निगम को प्रस्तुत बिलों के साथ ठेकेदार द्वारा हर माह की हाजरी को संलग्न नहीं किया हुआ है। हाजरी रजिस्टर को एक ही समय में एक ही लिखाई से तैयार किया हुआ प्रतीत होता है जिस पर किसी भी सफाई कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही कर्मचारियों के वेतन अदायगी हेतु बैंक खाते खुलवाये गये तथा बिना मस्ट्रोल के केवल बिलों के आधार पर ठेकेदार व उच्च अधिकारियों से मिली भगत करके प्रतिमाह सफाई की राशि को लगातार 1.9.2011 से 31.8.2012 तक बरामद करते रहे इसके बावजूद सफाई कर्मचारियों की उपस्थिती पूरी न होने पर भी ठेकेदार फ्रैंड्स एसोसियेट पंचकुला के नाम से ठेका दोबारा **Extend** कर दिया गया और सफाई कर्मचारियों का पी0एफ0 जमा नहीं करवाया गया और न ई0एस0आई0 कार्ड नहीं बनवाये गये । ठेकेदार द्वारा निगम को कर्मचारियों की प्रस्तुत सुची व हाजरी रजिस्टर में द ाँए गए कर्मचारियों में भी भिन्नता है । इस प्रकार ठेकेदार फ्रैंड्स एसोसियेट पंचकुला व चीफ सैनेटरी इन्सपैक्टर बी0एस0 कटारिया तथा सैनेटरी इन्सपैक्टर चमन लाल तथा महावीर सिंह नगर निगम करनाल व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी हाजरी द ाँ कर सरकार को करोड़ों रूपयों का चूना लगाया जा रहा है । इस प्रकार ठेकेदार मैसर्ज फ्रैंड्स एसोसियेट पंचकुला द्वारा चीफ सैनेटरी इन्सपैक्टर बी0एस0 कटारिया तथा सैनेटरी इन्सपैक्टर चमन लाल तथा महावीर सिंह नगर निगम करनाल व अन्य सम्बन्धित नगर निगम अधिकारियों से मिली भगत करके गबन किया है। इनके

विरुद्ध मुकदमा जेरधारा 420/467/468/471/120-बी, भा0द0स0 व 13(1)डी.पी0सी0एक्ट के अर्न्तगत अभियोग दर्ज किये जाने का सुझाव देकर रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 52/07/2013-1 चौकसी-1A, दिनांक 23-8-13, महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पृ0 क्रमांक 22576/आई-1, दिनांक 02-9-13 अनुसार इस सम्बन्ध में उपरोक्त धाराओं के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त तफती 1 के दौरान ठेकेदार द्वारा अन्य स्थानों पर करवाये गये कार्यों में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति को चैक कर लिया जावे यदि अन्य किसी की मिलीभगत पाई जाती है तथा अन्य कोई कर्मचारी/ अधिकारी व अन्य व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें भी शामिल तफती 1 किया जाये। अतः तहरीर आपकी सेवा में आपकी सेवा में आवे यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेशित है कि उपरोक्त दोशियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अर्न्तगत अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सभी सम्बन्धित को भेजी जाये। जांच से सम्बन्धित मूल रिकार्ड साथ सलंग्न है। इस मुकदमा में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवा कर सम्बन्धित रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी को भेजा जाए। हस्ता अंग्रेजी राके 1 कुमार उ0नि0 राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0), उपकेन्द्र, पानीपत दि0 16-10-2013 अज थाना:- आमदा तहरीर पर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ0आई0आर0 तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावेगी। स्पे 1ल रिपोर्ट ई0एच0सी0 राजपाल 1199/रोहतक द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, करनाल भेजी गई। नकल मि 1ल पुलिस मय असल तहरीर मय जांच से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड अफसरान बाला से आदे 1 प्राप्त करके अनुसंधान अधिकारी के हवाले किया जायेगा।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O) Sat Narain

Rank: Insp.

No.: 86/HAP

to take up the investigation,OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression

Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer

Name Savitri Devi

Rank: L/Sub Inspector No. 145/BWN

15 Date and Time of despatch to the court: बदस्त ई0एच0सी0 राजपाल 1199/रोहतक